बिहार सरकार

बिहार सरकार

समाहरणालय भागलपुर।
(जिला पशुपालन शाखा)
पुनः अल्पकालीन निविदा

संभावित बाढ़/सुखाढ़ से निबटने हेतु पशु चारा की आवष्यकता को देखते हुए निम्नांकित पषु चारा की आपूर्ति हेतु न्यूनतम दर निर्धारण हेतु इच्छुक प्रतिष्ठान/आपूर्तिकर्त्ताओं से दिनांक 30.05.2020 को अपराहन 03 बजे तक मुहरबंद निविदा जिला पशुपालन कार्यालय भागलपुर में आमंत्रित की जाती है। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को निविदा प्राप्त नहीं होती है तो पुर्न निविदा आमंत्रित की अगली तिथि 03.06.2020 को अपराहन 03 बजे तक निर्धारित की जाती है। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को भी निविदा प्राप्त नहीं होती है तो पुर्न निविदा आमंत्रित की अगली तिथि 10.06.2020 को अपराहन 03 बजे निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को ही अपराहन 04 बजे अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में जिला स्तरीय गठित क्रय समिति के समक्ष इन्हें खोलकर दर एवं आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण किया जायगा, जिसमें प्रत्येक निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह निविदा आपदा प्रबंधन मद में वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राप्त आवंटन/प्राप्त होने वाली आवंटन पर आधारित होगी।

आवष्यक पशुचारा की सूची निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	पशु चारा का नाम	गुणवत्ता	विवरणी	पशुचारा की मात्रा
1	2	3	4	5
1	पुआल की कुट्टी	उत्तम किस्म	प्रति क्विंटल	आवश्यकतानुसार
2	गेहूँ का भूसा	उत्तम किस्म	प्रति क्विंटल	आवश्यकतानुसार
3	चोकर	उत्तम किस्म	प्रति क्विंटल	आवश्यकतानुसार

निविदा की शर्ते निम्नलिखित हैः–

1. निविदा दाताओं अथवा संबंधित फर्म के लिए यह निविदा मात्र दर निर्धारण हेतु है। आवष्यक सहाय्य चारा की आवश्यकता पड़ने पर कार्यादेष निर्गत किया जायेगा तथा आवष्यकतानुसार आपूर्ति विभिन्न प्रखण्डों में ली जायेगी। तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में देना होगा। तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में दिये जाने वाले दस्तावेज निम्न प्रकार होगें–

(क) निविदा के साथ सुरक्षित जमा के रूप में "जिला पदाधिकारी, भागलपुर" के नाम से रूपये 10000/–(दस हजार) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट जो भागलपुर में देय हो जमा करना होगा।

(ख) G.S.T. निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

(ग) पैन कार्ड की छाया प्रति।

(घ) निविदादाता के काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र/स्वघोषणा पत्र।

2. निविदा में सूखा चारा यथा पुआल की कुट्टी एवं गेहूँ का भूसा तथा चोकर का प्रति क्विंटल दर (आपूर्ति आदेष में अंकित भागलपुर जिला अन्तर्गत वितरण स्थल तक पहुँचाकर, तौलवाकर एवं रखवाकर) अंकित रहना अनिवार्य है। उक्त अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राषि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नही होगा।

3. निविदादाताओं को निविदा के साथ आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा एवं चोकर का 500 ग्राम नमूना के रूप मे मुहरबंद पारदर्षीप्लास्टिक के थैला में जमा करना अनिवार्य है।

4. आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा निविदा के साथ जमा किए गये नमूना के अनुरूप नहीं होने पर आपूर्ति नहीं ली जायेगी।

5. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ति नहीं होने पर आपूर्ति आदेष रद्द करते हुए अग्रधन की राषि जब्त कर ली जायगी तथा वास्तविक आपूर्ति की स्थिति में नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।

6. आपूर्ति आदेष के अनुसार चारा आपूर्ति की सूचना एक दिन पूर्व देनी होगी।

7. क्रय समिति को बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

9. सामग्री की विवरणी एवं अन्य शर्त्ते जिले की वेबसाईट http://bhagalpur.bih.nic.in]पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार की वेबसाईट http://www.ahd.bih.nic.in एवं जिला पषुपालन कार्यालय, भागलपुर के सूचना पट्ट से भी प्राप्त की जा सकती है।

जिला पदाधिकारी,
भागलपुर।
18/5/20